न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 427/2024
CNR No-BRVA0-2004895-2017

उपस्थित : रत्नेश कुमार सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।

हाजीपुर, दिनांक– 23वीं मार्च 2026

(गोरौल थाना कांड सं0–12/2017 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 308, 379, 504 एवं 506/34 भा0दं0वि0 से उत्पन्न)

राज्य (द्वारा – शैल देवी – सूचिका) ———— अभियोजन

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :–श्री शिव शंकर प्रसाद सिन्हा,
अपर लोक अभियोजक

बनाम

1. अम्बिका सिंह उर्फ अम्बिका प्रसाद सिंह, पिता– स्व0 सकलदीप सिंह, उम्र लगभग 65 वर्ष,
2. केशव कुमार उर्फ केशव सिंह, पिता– अम्बिका सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष,
3. सुजित सिंह, पिता– स्व. सकलदीप सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष,
4. अजित सिंह, पिता– स्व0 सकलदीप सिंह, उम्र 60 वर्ष,
5. गीता देवी, पति अम्बिका सिंह, उम्र 61 वर्ष

सभी ग्राम–वभनटोली, थाना– गोरौल, जिला–वैशाली

———————— अभियुक्तगण।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री ललन कुमार सिंह एवं श्री विपुल कुमार।

घटना की तिथि	02.01.2017
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	18.01.2017
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	28.04.2017
आरोप गठन की तिथि	27.05.2024
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	23.04.2025
निर्णय पर नियत करने की तिथि	09.03.2026
निर्णय की तिथि	23.03.2026
सजा की तिथि, यदि कोई	––

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण की तारीख	जमानत पर मुक्त करने की तिथि	आरोप अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	सुनायी गयी सजा	विचारण के दौरान कारा में वितायी गयी अवधि धारा–428 दं0प्र0सं0
01	अम्बिका सिंह	19.03.2017	15.04.2017	अन्तर्गत धारा–341, 323, 308	दोषमुक्त		शुन्य

Web copy not official

				504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0			
02	केशव कुमार उर्फ केशव सिंह	07.04.2017	07.04.2017	अन्तर्गत धारा–341, 323, 308 504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
03	सुजित सिंह	07.04.2017	07.04.2017	अन्तर्गत धारा–341, 323, 308 504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
04	अजित सिंह	07.04.2017	07.04.2017	अन्तर्गत धारा–341, 323, 308 504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य
05	गीता देवी	07.04.2017	07.04.2017	अन्तर्गत धारा–341, 323, 308 504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0	दोषमुक्त		शुन्य

Web Copy Not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
पी0डब्लु–01	प्रवीण कुमार	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–02	जय प्रकाश कुमार	अन्य साक्षी
पी0डब्लु–03	कान्त लाल सिंह	सूचिका का पति
पी0डब्लु–04	रमेश कुमार	अन्य साक्षी

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्षी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
NIL	NIL	NIL

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–II, वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0– 427/2024
CNR No-BRVA0-2004895-2017

ग – न्यायालय साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विषेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
NIL	NIL	NIL

Web Copy Not Official

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय प्रदर्ष की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
01	प्रदर्श–पी.–01/पी.डब्लू.–03	लिखित आवेदन पर सूचिका शैल देवी का हस्ताक्षर

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्ष संख्या	विवरण
NIL	NIL	NIL

नि र्ण य

1. उपर्युक्त अभियुक्तगण धारा– 341, 323, 308, 504, 379 एवं 506/34 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश सूचिका शैल देवी, पति– कन्तलाल सिंह के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि इनके दो लड़के दिवाकर कुमार और प्रभाकर कुमार जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत है। इनके घर के बगल में श्री अम्बिका सिंह पिता स्व0 शकलदीप सिंह घर के कोने पर कबूतर का दरमा रखे हुए है, जिससे इनके घर पर गंदगी फैलाता है, इस गंदगी की वजह से किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकते है, दिनांक– 2.01.2017 दिन सोमवार सुबह 8 बजे

इनके घर की खिड़की पर कबूतर बैठा था तो इन्होंने बोला कबूतर का दरमा अलग बनाओ, इनके खिड़की पर गंदा करता है, इसी बात पर सभी गाली–गलौज शुरू कर दिए। मना करने पर सभी अभियुक्त दरवाजे पर आकर मार–पीट शुरू कर दिया तथा सभी मिलकर इन्हें जमीन पर पटक दिया तथा गर्दन में गमछा लगाकर जान मारने का प्रयास करने लगे। इनके घिघियाने पर आस–पास के लोग दौड़े तो अम्बिका सिंह इनके गर्दन से सोने का चेन छीन लिया और सभी अभियुक्त भाग गए। चेन का कीमत 42,000/– रूपए है जब भी कबूतर का दरमा हटाने के लिए बोला गया तो धमकी देता था, ऐसा मुकदमा करेंगे की दोनों बेटे का नौकरी खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब पंचायत से समस्या का हल करना चाहा तो पंचायत का बात मानने से इंकार कर दिया। इस झगड़ा में अम्बिका सिंह, पत्नी गीता देवी, पुत्र केशव कुमार और अम्बिका सिंह का दो भाई सुजित सिंह और अजित सिंह ये सभी शामिल है।

3. सूचक के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी गोरौल थाना कांड सं0–12/2017 अन्तर्गत धारा–341, 323, 308, 379, 504 और 506, 34 भा0दं0वि0 दर्ज किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341, 323, 308, 379, 504 और 506, 34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0– 95/2017 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–13.08.2019 को अपराध का संज्ञान लिया गया तथा दौड़ा सुपुर्दगी हेतु अभिलेख विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् अभिलेख दिनांक–25.05.2024 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

5. दिनांक–27.05.2024 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–341, 323, 308, 504, 379 एवं 506/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप गठित करके आरोप हिन्दी में सुनाया गया है। जिसे सुनकर अभियुक्तों ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया है। आरोप का गठन होने के पश्चात् अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया एवं साक्ष्य प्रकरण समाप्त होने के पश्चात् दिनांक–02.03.2026 को अभियुक्तों का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिया गया जिसमें अभियुक्तगण का बचाव है कि उनको इस मोकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे सर्वथा निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को सभी युक्ति युक्त संदेहो की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं?

म न्त व्य

7. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–1 प्रवीण कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–2 जय प्रकाश कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–3 कान्त लाल सिंह (सूचिका के पति) एवं अभियोजन साक्षी सं0–4 रमेश कुमार है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित आवेदन पर सूचिका शैल

देवी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– पी.–01 / पी.डब्लू.–03 अंकित किया गया।

8. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल–04 साक्षियों में से अभियोजन साक्षी सं0–03 कान्त लाल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि सूचिका शैल देवी इनकी पत्नी थी। शैल देवी की मृत्यु हो चूकि है। अम्बिका सिंह का घर इनके घर के बगल में है। अम्बिका सिंह से इनकी पत्नी ने गंदगी फेलने के संदर्भ में शिकायत की थी और उसी संदर्भ में यह घटना हुआ था। ये अपने पत्नी शैल देवी के हस्ताक्षर को पहचानते है। इस लिखित आवेदन पर इनकी पत्नी शैल देवी का हस्ताक्षर है, जिसके आधार पर केस दर्ज हुआ, हस्ताक्षर को प्रदर्श– पी.–01 / पी.डब्लू.–03 अंकित किया गया। ये घटना के संदर्भ में कुछ नहीं जानते और पुलिस में बयान नहीं हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। अभियोजन द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में ऐसा कोई सारगर्भित तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन केस को बल मिल सके।

अभियुक्तों द्वारा प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि शैल देवी ने इनके सामने प्राथमिकी पर हस्ताक्षर नहीं बनाई थी। तथा–कथित घटना के दिन ये घर पर नहीं था और इन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण इनके पड़ोसी है, इसलिए उन्हें पहचानता है। इन्हें जानकारी है कि इनकी पत्नी अपने जीवनकाल में ही इस मुकदमा में सुलहनामा दाखिल कर चूकि है।

10. अभियोजन साक्षी सं0–01 प्रवीण कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02 जय प्रकाश कुमार एवं अभियोजन साक्षी सं0–04 रमेश कुमार ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा कहा है कि पुलिस के समक्ष मेरा बयान नही हुआ था। अभियोजन के अनुरोध पर इन साक्षियों को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और अभियोजन द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रति परीक्षण में ऐसा कोई सारगर्भित तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन केस को बल मिल सके। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रति परीक्षण में इन साक्षियों ने कहा है कि, इस कांड के अभियुक्तगण मेरे पड़ोसी है, इसलिए पहचानते है। इस कांड की सूचिका शैल देवी मेरी पड़ोसी है, जिसकी मृत्यु हो चूकि है। तथाकथित घटना की जानकारी नहीं है।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सूचिका के पति ने अभियोजन वाद का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है एवं उनके कथन का मौखिक साक्षियों के साक्ष्य से समर्थन होता है साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श जो कि अभियुक्तगण के दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं में दोषसिद्ध किया जाय।

12. दूसरी तरफ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उन्हें साजिश के तहत

मनगढ़ंत तथ्यों को आधार बनाकर इस केस में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी साक्षियों क्रमशः साक्षी सं0–01, 02, 03 एवं 04 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है न ही किसी प्रकार का जख्म जख्मी को हुआ है। बिना वजह अभियुक्त को इस केस में घसीटा गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने सूचिका के लिखित कथन का समर्थन नहीं किया है। यहॉ तक कि सूचिका के पति ने अभियोजन कहानी का समर्थन अपने प्रति परीक्षण में नहीं किया है तथा सही तथ्य को जानकर इनकी पत्नी ने अपने जीवनकाल में ही इस मुकदमा में सुलहनामा दाखिल कर चूकि है। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से ही स्पष्ट है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। अभियोजन की ओर से कोई जख्म प्रतिवेदन को प्रदर्श के रूप में अभिलेख पर नहीं लाया गया है। अभियोजन द्वारा अनुसंधानकर्त्ता का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन केस के साबित होने में बल मिल सके। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन अपने केस को सभी युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहे है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के समीक्षा से विदित है कि अभियोजन की ओर से कुल–04 मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिनमें अभियोजन साक्षी सं0–01 प्रवीण कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–02 जय प्रकाश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या–03 कान्त लाल सिंह एवं अभियोजन साक्षी सं0–04 रमेश कुमार को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सूचिका के लिखित आवेदन के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि सूचिका के साथ सभी अभियुक्तगण दरवाजे पर आकर मार–पीट किया और सभी मिलकर इन्हें जमीन पर पटक दिया तथा गर्दन में गमछा लगाकर जान मारने का प्रयास करने लगे और सोने का चेन छीन लिया। इस वाद में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कुल 04 अभियोजन साक्षियों में से साक्षी सं0–03 कान्त लाल सिंह जो कि इस वाद के सूचिका के पति हैं ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि इनकी पत्नी–सह–सूचिका शैल देवी ने इनके सामने प्राथमिकी पर हस्ताक्षर नहीं बनाई थी। तथा–कथित घटना के दिन ये घर पर नहीं था और इन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्तगण इनके पड़ोसी है, इसलिए उन्हें पहचानता है। इन्हें जानकारी है कि इनकी पत्नी अपने जीवनकाल में ही इस मुकदमा में सुलहनामा दाखिल कर चूकि है। अभियोजन साक्षी सं0–1, 2, 3 एवं 4 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियोजन द्वारा किये गये इन साक्षियों के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई सारभूत साक्ष्य नहीं आया है जिससे अभियोजन केस को बल मिल सके।

14. अभियोजन की ओर इस वाद में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है और अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराया गया है। अनुसंधानकर्ता ही अनुसंधान के क्रम में अपने द्वारा एकत्रित साक्ष्य को समुचित ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नहीं कराये जाने से अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाता है।

15. उपरोक्त विवेचना के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियो में किसी भी साक्षी के साक्ष्य में कोई उल्लेखनीय अथवा सारभूत साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे अभियोजन कहानी साबित होती हो। इस प्रकार अभियोजन आरोपित अपराध की धारा– 341, 323, 308, 504, 379 एवं 506 / 34 भा0 दं0 वि0 के आरोप को उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्व युक्ति युक्त संदेहो से परे साबित करने मे सफल नही रहा है। अतः

आदेश

16. मैं उपरोक्त अभियुक्तगण 1. अम्बिका सिंह उर्फ अम्बिका प्रसाद सिंह, 2. केशव कुमार उर्फ केशव सिंह, 3. सुजित सिंह, 4. अजित सिंह और 5. गीता देवी को भा0दं0वि0 की धारा– 341, 323, 308, 504, 379 एवं 506 / 34 के आरोप का दोषी नहीं पाता हूँ तथा साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अभियुक्तगण को दोषमुक्त करता हूँ। अभियुक्तगण जमानत पर हैं अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

(निर्णय खुले न्यायालय मे पढ़कर अभियुक्त को सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।)

(कार्यालय निर्णय की एक प्रति जिला पदाधिकारी, वैशाली को भेजें)

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ले0 / –

(रत्नेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।
23.03.2026

लेखापित,

ले0 / –

(रत्नेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–II,
वैशाली, हाजीपुर।
23.03.2026